Branch Office: Second Floor, 1411 Building, Company Nagpur 440010

भारतीय मानक ब्यूरो Phone: (0712) 2565171, 2554268 Email: ngbo@bis.gov.in Web: www.bis.gov.in

(Statutory body under the Ministry of Consumer Affairs, Government of India)

ना.शा.का./प्रचार/16-17

03 फरवरी 2017

प्रेस विज्ञप्ति

बीआईएस ने नकली आईएसआई मार्क स्टील उत्पाद जब्त कर लिया है

भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन मार्क्स योजना विभिन्न उत्पादों पर मानक(ISI) मार्क के उपयोग के लिए भारतीय मानक अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत ब्यूरो चला रहा है। ऐसे 110 उत्पादन है जो अनिवार्य प्रमाणीकरण योजना के तहत आते है, जैसे एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी वाल्व, एलपीजी नियामकों, विभिन्न दूध के उत्पाद, बिजली योजना के तहत आते है, जैसे एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी वाल्व, एलपीजी नियामकों, विभिन्न दूध के उत्पाद, बिजली के तारों, पेयजल, इस्पात उत्पादों, सीमेंट, आदि जो की उपभोक्ताओं की स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत इन उपर्युक्त उत्पादों को बिना बीआईएस लैसेंस के, भारत मे नातो निर्माण किया जा सकता है ना बेचा जा सकता है।

ानमाण किया जा सकता ह ना बचा जा राजरा हा आईएसआई स्टैंडर्ड मार्क की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ, दुरुपयोग के उदाहरण भी पाए गए है। ऐसी प्रतिक्रिया के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो नागपुर शाका के अधिकारियों ने एम/एस उज्जवल इस्पात प्राइवेट प्रतिक्रिया के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो नागपुर शाका के अधिकारियों ने एम/एस उज्जवल इस्पात प्राइवेट किसिटेड, सी -8. एमआईडीसी हिंगना रोड. नागपुर के परिसर में गुरुवार को 02 फरवरी 2017 पर प्रवर्तन छापे का लिमिटेड, सी -8. एमआईडीसी हिंगना रोड. नागपुर के परिसर में गुरुवार को 02 फरवरी 2017 पर प्रवर्तन छापे का सियोजन किया। छापे के दौरान यह पता चला कि फर्म, एम/एस उज्जवल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के पास किसी भी संटील उत्पाद के लिए बीआईएस लाइसेंस नहीं है लेकिन स्टील टीएमटी बार पर आईएसआई मार्क का इस्तेमाल

किया जाता है। फर्म <u>एम/एस उज्जवल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड</u> के पास मशीनरी से नकली आईएसआई स्टील टीएमटी बार फर्म <u>एम/एस उज्जवल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड</u> के पास मशीनरी से नकली आईएसआई स्टील टीएमटी बार के निर्माण के लिए चल रहा है जो दीवारों और इमारतों के ढहने जैसे सुरक्षा समस्याओं का कारण बन सकता है। के निर्माण के लिए चल रहा है जो दीवारों और इमारतों के ढहने जैसे सुरक्षा समस्याओं का कारण बन सकता है। कारखाने में आईएसआई चिहिनत स्टील टीएमटी ब्रांड नाम "प्रकाश 500" जब्त किया गया था जो की भारतीय कारखाने में आईएसआई चिहिनत स्टील टीएमटी ब्रांड नाम "प्रकाश 500" जब्त किया गया था जो की भारतीय मानक ब्यूरो 1986 अधिनियम के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। इस तरह के स्टील टीएमटी उत्पाद जिसपर नकली आईएसआई मार्क था वो जब्त किया गया है आगे उचित कार्रवाई करने के लिए। **भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 1986 अईएसआई मार्क था वो जब्त किया गया है आगे उचित कार्रवाई करने के लिए। भारतीय मानक ब्यूरो एक्ट 1986 के नियमों के तहत आइएसआइ मार्क के दुरुपयोग पाए जाने पर तथा इसकी कोर्ट की सत्यापन होने के बाद र. 50000/- का जुर्माना या उत्पादक को एक वर्ष का सजा या दोनों दिया जा सकता है।**

इसके अलावा यह ध्यान दें कि बीआईएस बहुत सख्त दिशा निर्देश देता है स्टील टीएमटी बार के निर्माता के पास रासायनिक और यांत्रिक परीक्षण प्रयोगशाला होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता को मानकों के अनुसार गुणवत्ता * के उत्पाद ही प्राप्त हो।

यह कई बार देखा गया है कि नकली आईएसआई चिहिनत उत्पादों का निर्माण करके, भारी मुनाफे के लिए आम उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। इसलिए यह सुझाव दिया है कि लोगों को भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर जाकर, खरीद से पहले 'उत्पादों के आईएसआई मार्क की असलियत का पता लगाना चाहिए।

(आर पी मिश्रा)

वैज्ञानिक-एफ एवं प्रमुख



Branch Office: Second Floor, NIT Bui Nagpur 440010 Phone: (0712) 2565171, 2554268 Email: ngbo@bis.gov.in Web: www.bis.gov.in

(Statutory body under the Ministry of Consumer Affairs, Government of India)

Our Ref: NGBO/Publicity/16-17

PRESS RELEASE

03 February 2017

BIS Seized Fake ISI Marked Steel Product

The Bureau of Indian Standards operates the Certification Marks Scheme under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 for the use of Standard Mark on various products. As such about 110 products, like, LPG cylinders, LPG valves, LPG regulators, various milk products, electric cables, Packaged Drinking Water, Steel products, cement, etc comes under the mandatory certification scheme to ensure health and safety of the consumers. These products covered under Quality Control Orders cannot be manufactured or sold in India without obtaining BIS license to use ISI mark.

With the increase in the popularity of the ISI Standard Mark, the instances of misuse are also observed. Based on such feedback, <u>Bureau officials conducted enforcement raid on Thursday</u>, <u>02-February-2017</u> at the premises of <u>M/s</u>. Ujjawal Ispat Pvt Ltd, C-8, <u>MIDC Hingna road</u>, <u>Nagpur</u>. During the raid it was found out that Firm, M/s Ujjawal Ispat Pvt Ltd, located at C-8, MIDC Hingna road_Nagpur is not having BIS license for any steel product but has used ISI mark on Steel TMT bars.

Firm <u>M/s Ujjawal Ispat Pvt Ltd</u> is having machinery to manufacture fake ISI marked Steel TMT bars which can lead to **safety problems like collapse of walls and buildings**. In the factory ISI marked Steel TMT bars having Brand Name "PRAKASH 500" was seized, as such material was in violation of provisions of Bureau of Indian Standards Act 1986. Therefore, the stock of such steel TMT bars having misleading ISI Mark claim was seized from the above factory so as to take further appropriate action including further investigation in the matter. There is a provision in BIS Act 1986 that a fine of Rs. 50,000/- or imprisonment of one year or both can be imposed on the Firm if found guilty by Honorable Court.

Also it is important to note that BIS has very strict guidelines for Steel TMT bars, which also includes Manufacturer should have a lab for chemical and mechanical testing requirements, so that consumer gets quality product as per Standards.

It has been observed many times that fake ISI marked products are manufactured and sold to common consumers for huge profits, it is therefore suggested that people should ascertain the products' genuineness of ISI Mark before purchase by visiting BIS website www.bis.gov.in

(R.P.Mishra) Scientist-F & Head

BO's Ret